प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद–महराजगंज।

सेवा में,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–मु0चि0अ0 / मगंज / 2019 / 8621 दिनांक 19/07/2019

विषयः–वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों की स्थिति की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0एण्ड0ई0 / 2019–2 / 30 / 3153–2 दिनांक 08.07.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों की सूचना निम्न प्रारूप पर भरकर तथा समस्त अनुबन्ध की छाया प्रति संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
19.7.19
मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज।

पत्रांक–मु0चि0अ0 / मगंज / 2019 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।
5. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0, जनपद–महराजगंज।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद–महराजगंज।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला लेखा प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद–महराजगंज।

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद–महराजगंज।

सेवा में,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–मु0चि0अ0 / मगंज / 2019 / दिनांक 19 / 07 / 2019

विषयः–वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों की स्थिति की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0एण्ड0ई0 / 2019–2 / 30 / 3153–2 दिनांक 08.07.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों की सूचना निम्न प्रारूप पर भरकर तथा समस्त अनुबन्ध की छाया प्रति संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज।

पत्रांक–मु0चि0अ0 / मगंज / 2019 / 8622-20 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।
5. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0, जनपद–महराजगंज।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद–महराजगंज।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला लेखा प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद–महराजगंज।

19.7.19

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज।

Supportive Supervision Vehicle Hiring-District Level information 2019-20

Sl.No.	Name of District	No of Vehicle alloted	No of Vehicle Hired	Vehicle No-1	Vehicle No-2	Date of Hiring	Vehicle Status No-1	Vehicle Status No-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Maharajganj	2	2	UP-56-T-4591	UP-56-T-9875	Vehicle NO-1 Date of Hiring 01-04-2019 Vehicle NO-2 Date of Hiring 01-04-2019	JEEP TAXI	JEEP TAXI

ACMO, RCH
Maharajganj

Chief Medical Officer
Maharajganj

Supportive Suppervision Vehicle Hiring (BlockWise) information 2019

S.No.	Name of Division	Name of District	Block Name	Vehicle No	Date of Hiring	Vehical Alloted	Vehical Status	Vehicle Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gorakhpur	Maharajganj	Nichlaul	UP-56-T-8752	1/4/2019	12	12	JEEP TAXI
2			Mithaura	UP-57-AJ-2545	1/4/2019			JEEP TAXI
3			Ghughuli	UP-56-T-8703	1/4/2019			JEEP TAXI
4			Bahaduri	UP-55-T-8190	1/4/2019			JEEP TAXI
5			Ratanpur	UP-56-T-5468	1/4/2019			JEEP TAXI
6			Dhani	UP-56-L-4464	1/4/2019			JEEP TAXI
7			Pharenda	UP-56-L-1666	1/4/2019			JEEP TAXI
8			Laxmipur	UP-56-T-3966	1/4/2019			JEEP TAXI
9			Maharajganj	UP-56-T-5914	1/4/2019			JEEP TAXI
10			Siswa	UP-53-ET-5373	1/4/2019			JEEP TAXI
11			Partawal	UP-56-T-8771	1/4/2019			JEEP TAXI
12			Paniyara	UP-53-CT-5540	1/4/2019			JEEP TAXI

ACMO, RCH
Maharajganj

Chief Medical Officer
Maharajganj

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार
01 FEB 2019
महराजगंज-70

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EM 201607

प्रथम पक्ष	नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।
द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता)	मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री रामवृक्ष पुत्र सैलू प्रसाद, गाम–नन्दाभार, खजुरिया चौक, जनपद–महराजगंज, वाहन संख्या–UP-56-T-4591

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **जनपद–मुख्यालय**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एव फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित
1/4/19 01.4.19

प्रथम पक्ष — मुख्य चिकित्साधिकारी — मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज (उ0प्र0)

द्वितीय पक्ष — रामवृक्ष — वाहन स्वामी — विनोद कुमार — निविदादाता फर्म

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर0सी0एच
महराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

01 FEB 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EM 201606

प्रथम पक्ष — नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री ओनकारनाथ, निवासी–नगर पालिका परिषद, लोहियानगर, जनपद–महराजगंज, वाहन संख्या–UP-56-T-9875

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **जनपद–मुख्यालय**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एव फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित 16/01/18 मुख्य चिकित्साधिकारी (उ0 प्र0) महराजगंज

प्रथम पक्ष — मुख्य चिकित्साधिकारी

द्वितीय पक्ष — वाहन स्वामी — निविदादाता फर्म

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच महराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

01 FEB 2019

महराजगंज-70

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EM 201604

प्रथम पक्ष — **नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।**

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — **मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्र्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री विनोद कुमार गुप्ता, निवासी–राजीव नगर, महराजगंज वाहन संख्या–UP-56-T-8752**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–निचलौल**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित
2/01/5/19

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज (उ0 प्र0)

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर0सी0एच
महराजगंज

द्वितीय पक्ष विनोद कुमार वाहन स्वामी विनोद कुमार निविदादाता फर्म

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

1 FEB 2019

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EM 201580

प्रथम पक्ष	नोडल अधिकारी / मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।
द्वितीय पक्ष / (सेवा प्रदाता)	मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेर्ल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्रीमती प्रतिभा पुत्री नथुनी राव, ग्राम–बरवां जंगल, पोस्ट–दिलीपनगर, कुशीनगर, वाहन संख्या–UP-57-AJ-2545

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यकम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–मिठौरा**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यकम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित 28/5/19 चिकित्साधिकारी (प0 प्र0)

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी द्वितीय पक्ष प्रतिभा सिंह वाहन स्वामी विनोद कुमार निविदादाता फर्म

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच महराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

1 FEB 2019

महराजगंज-70

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EM 201608

प्रथम पक्ष नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) मेसर्स-कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेर्ल्स, जनपद-महराजगंज व वाहन स्वामी श्री देवेश कुमार श्रीवास्तव, सिविल लाइन, जनपद-महराजगंज वाहन संख्या-UP-56-T-8703

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1- द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज में आंवटित **प्रा०स्वा० केन्द्र-घुघुली**, जनपद-महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/-(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5- नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित 12/01/4/19

प्रथम पक्ष — मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज (उ0प्र0)

द्वितीय पक्ष — वाहन स्वामी — निविदादाता फर्म

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर0सी0एच
महराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EM 205080

प्रथम पक्ष नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) मेसर्स–उपाध्याय ट्रेडर्स, कोल्हुई, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री संदीप कुमार दूवे, निवासी–मोहनाग, जनपद–सिद्धार्थनगर, वाहन संख्या–यू0पी0–55–टी–8190

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **प्रा0स्वा0 केन्द्र–बहदुरी**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एव फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा ि कवह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज। प्रतिहस्ताक्षरित

12/01.4.19

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी (महराजगंज) द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी निविदादाता फर्म

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EM 202959

प्रथम पक्ष	**नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।**
द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता)	**मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री अमीरूल्लाह खां पुत्र तपसीर अली, ग्राम–एकमा, पोस्ट–लक्ष्मीपुर, महराजगंज, वाहन संख्या–UP-56-T-5468**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–रतनपुर**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित
01/5/19

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी

मुख्य चिकित्साधिकारी (उपरोक्त)
महराजगंज

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर0सी0एच
महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी निविदादाता फर्म

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार 08 FEB 2019 महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EM 202957

प्रथम पक्ष — नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्र्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री रियाज अहमद पुत्र श्री शान मोहम्मद, ग्राम–फरेन्दा बुजुर्ग, महराजगंज, वाहन संख्या–UP-56-L-4464

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–धानी**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष	मुख्य चिकित्साधिकारी	द्वितीय पक्ष	वाहन स्वामी	निविदादाता फर्म

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज (उ० प्र०)

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०,
महराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
01 FEB 2019
महराजगंज-70
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
EM 201613

प्रथम पक्ष नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) मेसर्स–उपाध्याय ट्रेडर्स, कोल्हुई, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री गौरीशंकर मालवी, निवासी–वार्ड–03, विकास नगर, आनन्दनगर, महराजगंज, वाहन संख्या–UP-56-L-1666

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **प्रा0स्वा0 केन्द्र–फरेन्दा**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एव फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा किवह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
प्रतिहस्ताक्षरित महराजगंज
12/01.4.19

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज (उ० प्र०)

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी निविदादाता फर्म

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EM 202958

प्रथम पक्ष	नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।
द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता)	मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री कंचन शर्मा, निवासी–ग्राम व पोस्ट–पुरन्दरपुर, महराजगंज, वाहन संख्या–UP-56-T-3966

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–लक्ष्मीपुर**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित 12/01/4/19

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी (उ0प्र0) महराजगंज

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी निविदादाता फर्म

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

08 FEB 20 महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EM 202956

प्रथम पक्ष नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्र्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री मनोज कुमार पुत्र रामराज, ग्राम–एकमा, पोस्ट–लक्ष्मीपुर, पुरन्दरपुर, महराजगंज। वाहन संख्या–UP-56-T-5914

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यकम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–महराजगंज**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यकम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यकम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित 12/01/19

प्रथम पक्ष	मुख्य चिकित्साधिकारी	द्वितीय पक्ष	वाहन स्वामी	निविदादाता फर्म

मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज (उ0 प्र0)

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच महराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EM 202960

प्रथम पक्ष	**नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।**
द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता)	**मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री श्रीमती अन्नु त्रिपाठी, मोहद्दीपुर, गोरखपुर वाहन संख्या–UP-53-ET-5373**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–सिसवा**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित
5/01/4/19
मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज (उ0प्र0)

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी   द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी   निविदादाता फर्म

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर0सी0एच0
महराजगंज

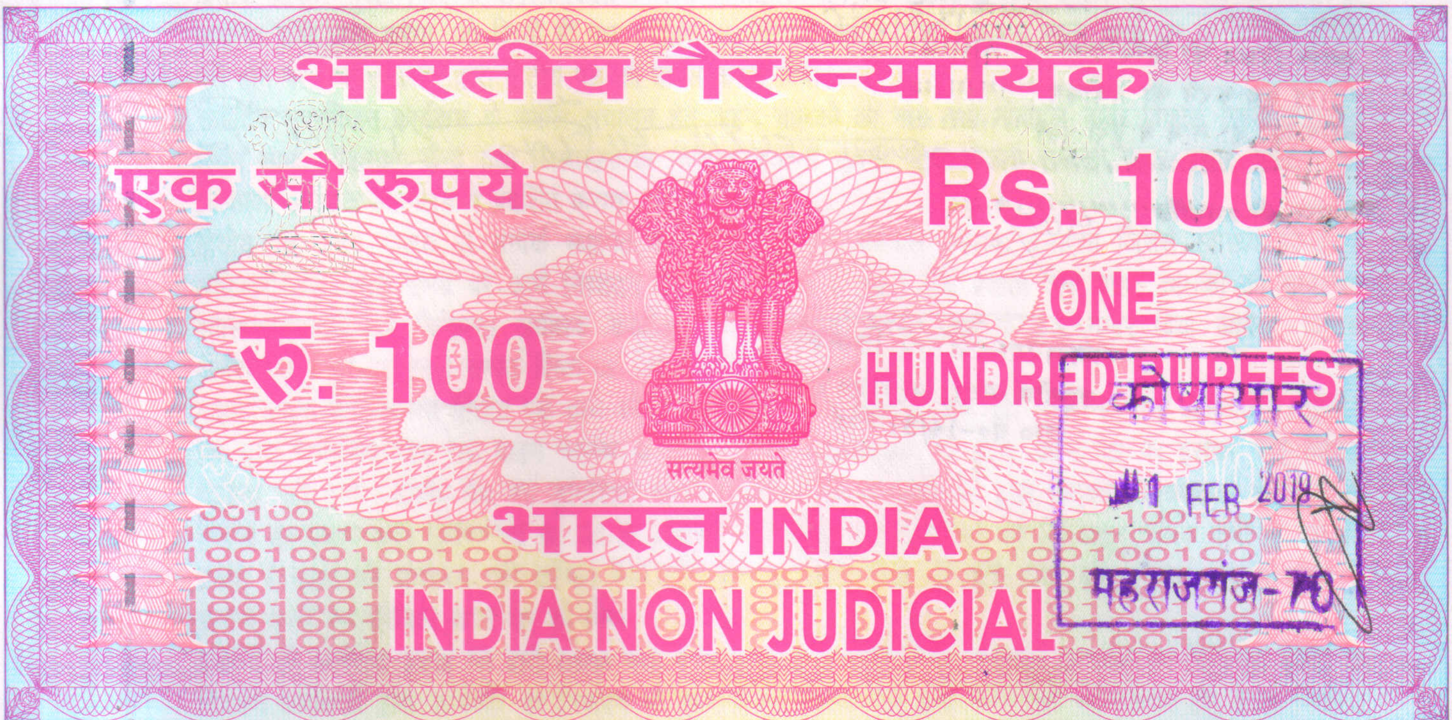

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EM 201603

प्रथम पक्ष — **नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।**

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — **मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री सुरेन्द्र यादव, निवासी–सोहरौना तिवारी, महराजगंज, वाहन संख्या–UP-56-T-8771**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–परतावल**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित 15/5/19

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी

मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज (उ० प्र०)

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच० महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी निविदादाता फर्म

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

01 FEB 2019

महराजगंज-70

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EM 201609

प्रथम पक्ष	नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।
द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता)	मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्र्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री संदीप कुमार मौर्या पुत्र कदम लाल मौर्या, ग्राम–जंगल झन्झावां, पीपीगंज, गोरखपुर वाहन संख्या–**UP-53-CT-5540**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2019 से अग्रिम आदेश तक के लिय मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज में आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–पनियरा**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आयेगा। रू0 31000/–(रू0 इक्तीस हजार मात्र) ईधन सहित प्रतिमाह वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटाना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6– द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00 (रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राधि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

7– **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

9– वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेंगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन की संचालन नही करेंगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा इकाई के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवधि का निर्धारण भी मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद–महराजगंज के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज (उ० प्र०)

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच
महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी निविदादाता फर्म